न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
160 / 2021 / प्रार्थना पत्र	2021 / 213	26.07.2024	18.02.2026

अनवान

1. हिम्मत सिंह पुत्र बहादुर सिंह चारण निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र बहादुर सिंह बारेठ निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री त्रिलोकचंद नौलखा –अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह भाटी –अभिभाषक विपक्षीगण संख्या 01

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :– ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया तहसील शाहपुरा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 132 रकबा 1.55 है0 दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजी पर पहुंचकर काश्त करने हेतु एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु प्रार्थी आराजी संख्या 17 रकबा 1.80 है0 गै.मु. सड़क जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड शाहपुरा के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड है, से होते हुए बिलानाम सरकार खाता संख्या 01 में दर्ज रेकार्ड आराजी नम्बर 135 रकबा 2.15 है0 किस्म बंजड़ से होते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 133 के दक्षिणी पूर्वी कोने से होते हुए दक्षिणी पश्चिमी कोने पर पहुंचकर प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 132 पर पहुंचता है और इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी कृषि आराजी पर कृषि उपकरण लाता ले जाता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त वर्णित रास्ता ही प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने हेतु एक मात्र रास्ता होकर लघुतम रास्ता है। विपक्षी संख्या 01 जो आराजी संख्या 133 का खातेदार है आये दिन आराजी संख्या 133 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर डोल डालकर थोर व कांटों की बाड़ लगाकर दिनांक 10.06.2021 को प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध कर दिया। जिससे प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त करने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने से वंचित हो गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी काश्तकार होकर उनका जीवन कृषि पर आधारित है। यदि अपनी आराजी काश्त नही कर सका तो प्रार्थी को अत्यधिक क्षति होगी। प्रार्थी आराजी संख्या 132 से सटवा स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 133 के दक्षिणी पूर्वी कोने से लेकर दक्षिणी पश्चिमी कोने तक यानि प्रार्थी की आराजी नम्बर 132 के दक्षिणी पूर्वी कोन तक 15 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए आराजी संख्या 135 से सटवा स्थित विपक्षी की आराजी सं. 133 के दक्षिणी पूर्वी कोने से लेकर दक्षिणी पश्चिमी होने तक यानि प्रार्थी की आराजी संख्या 132 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक पहुंचने हेतु 15 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार दिलाने जाने का आदेश प्रदान कराते हुए रास्ते का इन्द्राज नक्शे व राजस्व रेकार्ड में भी स्थायी रूप से रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश बक्शावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 का सम्मन अदम तामिल लौटा जिससे विपक्षी की पुनः तलबी की गई। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा दिनांक 13.09.2021 को अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 29.03.2022 को रेकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 176 दिनांक 14.03.2022 से प्राप्त मौका रिपोर्ट को दिनांक 12.07.2022 को रेकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में दिनांक 09.10.2023 को विपक्षी संख्सा 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति अभिभाषक प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। प्रकरण अंतिम बहस के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.05.2025 को प्रथम बार बहस सुनी गई। किन्तु बहस सुने जाने के 01 माह बाद भी आदेश पारित नहीं होन से दिनांक 11.02.2026 को पुनः बहस अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

विपक्षीगण संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी संख्या 132 वर्तमान में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी में वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। जो राजस्व रेकार्ड में खसरा संख्या 111 रास्ता दर्ज है। आराजी संख्या 133 कई वर्षो से अर्जुन सिंह चारण के कब्जेकाश्त में स्थित है। जिसे प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है। अतः आवश्यक पक्षकार क अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी के पास खातेदारी में वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। जो राजस्व रेर्काड में खसरा संख्या 111 रास्ता रकबा 0.0600 है0 दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी के पास पूर्व में ही रेकार्डेड रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने बाबत मौका पर्चा रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकन है। सुविधा की दृष्टि से रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी के पास पूर्व में ही रेकार्डेड रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 0.0600 है0 खातेदार की खातेदारी में है तथा उक्त रास्ता वर्तमान में गहरा होकर साधन लाने ले जाने की स्थिति में नही है। खसरा नम्बर 111 खातेदार गोपी पुत्र बालू 1/5 मिठू पुत्र रामकरण 1/5 गोरू भोजा पुत्र नन्दराम 2/15 वगैरा खारोल की खातेदारी में दर्ज जो कृषि यंत्र ले जाने या लाने तथा कृषि उत्पाद ले जाने लायक नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम दूरी का है। वैकल्पिक रास्ता की लम्बाई प्रस्तावित रास्ते से अधिक है। आराजी नम्बर 133 खातेदार भीम सिंह पिता बहादुर सिंह बारेठ की खातेदारी व कब्जा है। मार्ग की नितान्त आवश्यकता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम रास्ता है। एवं रास्ते की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं की गई है।

भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया द्वारा ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया स्थित विपक्षीगण संख्या 01 की कृषि आराजियात 133 रकबा 2.7400 है. में से 0.0376 हैक्टेयर (94 मीटर गुणा 4 मीटर/376 वर्ग मीटर) भूमि एवं बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 135 रकबा 2.1500 है. में से 0.0088 है. (22 मीटर गुणा 4 मीटर/88 वर्ग मीटर) भूमि इस प्रकार कुल किता 2 रकबा 0.0464 है. (464 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। तहसील शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजदू होना बताया है। किन्तु उक्त रास्ता अन्य खातेदारान के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर, गहरा होकर साधन लाने ले जाने की स्थिति में नही है। एवं कृषि यंत्र ले जाने या लाने तथा कृषि उत्पाद ले जाने लायक नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

2. विपक्षीगण ने अपने जवाब में आराजी संख्या 133 पर वर्षों से अर्जुन सिंह चारण का कब्जा होना बताया है किन्तु तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 133 पर खातेदार विपक्षी संख्या 01 भीम सिंह पिता बहादुर सिंह का कब्जा होना बताया गया है। जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच हेतु रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता अन्य कृषकगणों की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर कृषि कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने योग्य नहीं है। एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निर्बाध अवागमन के लिए निकटतम/सुगमतम रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :–

वाके ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 की कृषि आराजियात 133 रकबा 2.7400 है. में से 0.0376 हैक्टेयर (94 मीटर गुणा 4 मीटर/376 वर्ग मीटर) भूमि एवं बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 135 रकबा 2.1500 है. में से 0.0088 है. (22 मीटर गुणा 4 मीटर/88 वर्ग मीटर) भूमि इस प्रकार कुल किता 2 रकबा 0.0464 है. (464 वर्ग मीटर) भूमि की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0376 है0 को आराजी नम्बर 133 रकबा 2.7400 हैक्टेयर एवं 0.0088 है0 को आराजी नम्बर 135 रकबा 2.1500 है0 में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा